eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

आर्थिक विकास में लिंग समानता की भूमिका

[1]नीलम चौधरी
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय झांसी

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

परिवार समाज व देश की प्रगति में महिला व पुरुष दोनों की भागीदारी आवश्यक है, लैंगिक समानता पुरुष और महिलाओं के बीच में व्याप्त सभी मतभेदों को समाप्त कर दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। लैंगिक समानता जहां एक ओर बुनियादी मानव अधिकार है तो वहीं दूसरी ओर अधिकारों के समायोजन मे असंतुलन प्रतीत होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिंग की परवाह किए बिना अर्थात स्त्री पुरुष का भेद किए बिना अधिकारों और अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त होती ळें 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा लैंगिक समानता को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का हिस्सा बना दिया था। किसी भी राष्ट्र में लैंगिक समानता के व्याप्त होने से न केवल मानव पूंजी बढ़ती है अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। महिलाओं के सशक्त बनने से उत्पादकता और आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान होती है। हमारे विश्व में सबसे बड़ी मानवाधिकार चुनौती है,लैंगिक समानता को हासिल करना।लैंगिक समानता किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है यद्यपि महिलाओं की उन्नति और लैंगिक समानता आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है लेकिन फिर भी हम लिंग असमानता में जी रहे हैं। महिलाओं की प्रगति और लैंगिक समानता का मानव पूंजी निर्माण, श्रम उत्पादकता, रोजगार सृजन व समग्र सामाजिक आर्थिक और मानव विकास पर गहरा असर पड़ता है।

मुख्य शब्द –लैंगिक समानता, आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता।

Introduction

भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच का भेदभाव सभी पीढियों मे विद्यमान है। हमारे भारतीय संविधान में चाहे स्त्री हो या पुरुष सभी को समान अधिकार तो प्रदान किए गए हैं लेकिन फिर भी लैंगिक असमानता जैसी अवधारणा व्याप्त है। यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो मध्यकाल अवधि से ही भारत में महिलाओं के साथ अत्यंत डाटा के साथ व्यवहार किया गया एक स्त्री को गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक कई यातनाओ, शोषण, हिंसा से प्रताड़ित किया जाता रहा है। ऐसा कोई भी कृत्य जो महिलाओं की स्वीकृति के विरुद्ध किया जाए या उन्हें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से आहत करें हिंसा की श्रेणी में आता है। लॉकडाउन में भी महिलाओं के प्रति हिंसा का स्तर बढ़ा है। हमारे समाज मे ना जाने ऐसी कितनी रूढ़िवादी धारणाएं व्याप्त हैं जो कि हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक भेद को जोड़ती रही हैं।

लैंगिक समानता– लिंग समानता व्यक्तियों के बीच लिंग के आधार पर विभेद करने की प्रवृत्ति को खत्म करने का एक प्रयास है। पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर व समाज

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

मे समान भूमिका प्राप्त हो। समाज व राष्ट्र के विकास के लिए लिंग समानता का होना आवश्यक है। अध्ययनो से स्पष्ट होता है की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रदर्शित करती है। वैश्विक मानवाधिकार घोषणा 1948 के अनुसार सभी मनुष्यों का जन्म स्वतंत्र हुआ है उसकी गरिमा और अधिकार बराबर है। लिंगानुपात के समायोजन से न केवल वर्तमान बल्कि हमारे आने वाली पीढियां भी लाभान्वित होगी। संसाधनों की समान पहुंच और उपयोग हो तथा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान भागीदारी प़ाप्त हो तथा समाज में व्याप्त हिंसा से मुक्ति आदि लैंगिक समानता के तत्व है।

लैंगिक असमानता– लिंगो के बीच में असमानता न केवल व्यक्तियों को प्रभावित करती है वरन यह पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बदल सकती है। महिलाएं पुरुषों के बराबर ही घंटे काम करती हैं लेकिन उन्हें वेतन कम मिलता है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दुनिया भर में 773 मिलियन वयस्क निरक्षर है जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। लैंगिक असमानता पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति के असंतुलन को दर्शाने वाले आंकड़ों की एक लंबी सूची है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि लैंगिक असमानता स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती है। यह असमानता केवल हमारे जीवन को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत अब 127 में स्थान पर है। आर्थिक जगत के कारपोरेट क्षेत्र में 13.3 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी है जो किसी कंपनी में उच्च पद पर आसीन है, 14.4 प्रतिशत भागीदारी संसद में है तथा कैबिनेट में मात्र 23 प्रतिशत महिलाएं हैं। घरेलू व बाहरी कार्यों में शारीरिक मानसिक श्रम की अधिकता से थकान व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती है जिनको हमारा समाज महत्व नहीं देता और ना ही दिन के कार्य के घंटे को आंका जाता है अर्थात यहां काम का अवमूल्यन होता है।

लिंग समानता की आवश्यकता–– लैंगिक समानता आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देती है। विश्व आर्थिक मंच को उम्मीद है की संपूर्ण विश्व के लैंगिक अंतर को बांटने में अब 130 साल से अधिक वर्ष का समय लगेगा जो की कोरोना महामारी से पहले यह 100 साल था। पुरुषों की तुलना में दुगनी स्तर पर महिलाओं ने महामारी के दौरान अपनी नौकरियां खो दी। महिलाएं आज भी कई क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हो या श्रम बाजार में व्याप्त अवसरों का हो। जहां चीन में लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है तो वहीं अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। मेमन् का मत है कि यदि प्राथमिकताएं निश्चित है तो जैसे–जैसे आय बढ़ेगी महिला श्रम बाल भागीदारी में कमी आएगी। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए ऐसी नीतिगत कार्रवाई करना आवश्यक होगा जो पुरुषों की कीमत पर महिलाओं के पक्ष में हो।

पितृसत्तात्मक समाज और सामाजिक परंपराएं एवं कुरीतियों कुछ ऐसे कारण है जो लैंगिक समानता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं । लैंगिक समानता जीवन को बचाती है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, व्यवसाययों में मदद मिलती है, अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह कारगर सिद्ध होता है, आर्थिक उत्पादकता रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैश्विक पटल पर शांति का मार्ग प्रशस्त करती है, फिर भी कुछ पहलू ऐसे हैं जो लैंगिक समानता के मार्ग में अड़चन पैदा कर रहे हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार है –

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

- बाल विवाह के अधिक प्रचलन और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के खराब उपयोग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार हो रही गिरावट के साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हो रही है।

- लिंगानुपात को जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है और यह पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। यद्यपि देश में समग्र लिंगानुपात में सुधार का रुझान दिख रहा है लेकिन बाल लिंगानुपात में गिरावट का होना अत्यंत चिंता का विषय है।

- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की निरक्षरता के प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की निरक्षरता का प्रतिशत अधिक है। यह शिक्षा में लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्र में मेघालय और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निरक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है।

समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य लैंगिक समानता का स्थापित होना आवश्यक है। सरकार के द्वारा लैंगिक समानता के स्तर को ऊपर उठने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है किंतु भारत अभी भी इस मामले में पीछे है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस दिशा में गहन प्रणाली को अपनाना होगा।लैंगिक समानता गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास, सतत विकास और महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा ताकि लैंगिक साक्षरता का अंतर समायोजित हो सके। साथ ही उन्हें अपनी वित्तीय साक्षरता के स्तर को भी बढ़ाना होगा ।यदि हम साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर 79.3ः है जिसमें 87.23 प्रतिशत पुरुष तथा 17.73 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साक्षरता का स्तर है वह महिलाओं के प्रति निम्न है। लैंगिक समानता के द्वारा इस साक्षरता लिंग भेद को सुधारा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनती है और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। कहना ना होगा कि इस पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष प्रधानता समाप्त कर स्त्री–पुरुष के समान अवसरो को दिलाने की पहल करनी होगी ।लैंगिक समानता से आय के असमान वितरण को ठीक कर विभिन्न आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा निर्णय क्षमता में समानता स्थापित करती है।

बड़ी अजीब विडंबना है कि आज हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लेकिन अभी भी हम लैंगिक असमानता की खाई को पाटने में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में लोगों की मानसिकता को बदलना होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना होगा तथा महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में भागीदारी बढ़ानी होगी जिससे लैंगिक असमानता में कमी लाई जा सके तभी हम एक विकसित,समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र की तस्वीर देखेंगे।विकास की अवधारणा सही शब्दों में तब चरितार्थ होगी जब विकास प्रक्रिया में समावेशी भागीदारी हो, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी हो तथा सभी क्षेत्रों में लिंग समानता व्याप्त हो। विकास की इस डगर में हमारा मुख्य ध्येय सामूहिक समृद्धि, सामूहिक प्रगति और सामूहिक विकास होना चाहिए। बिना किसी संदेह के यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हम सभी का एकजुट होकर महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक भेदभाव जैसे संकटों से उबारने में मदद करनी होगी। हमें ऐसे

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

संगठनों का समर्थन करना होगा जो महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से लिंग बजटिंग और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारो, आगम नीतियों और कर नीतियों के माध्यम से लैंगिक समानता और लिंग अंतराल को ठीक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारत में पहली बार 2005 –06 में जेंडर बजट पेश किया गया था। लैंगिक समानता सुनिश्चित कर महिलाओं को मुख्य धारा से लाने के लिए संसाधनों के आवंटन का लेखा–जोखा रखने की नजरिये से इसकी शुरुआत की गई थी। अंत में यह कहना सही होगा कि महिलाओं की उन्नति का लैंगिक समानता से गहरा संबंध है और लिंग समानता का समावेशी विकास से।

संदर्भ ग्रंथ सूची--

1-Nair ,Shalini,2015, "More gender inequality in India than Pakistan and Bangladesh UN".Indian Express, December 15.

2-Premee,K,Suman and Sonkar, Shweta,(2019), "भारत में लैंगिक असमानता का समीक्षात्मक अध्ययन"

3-माथुर,कृष्णा,(2021) "कार्यस्थल पर व्यावसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन: महिला सशक्तिकरण के संबंध में"

4-Economic Review, Ministry of finance, Government of India

5-https://niti.gov.in

6-योजना मासिक पत्रिका

7-https://wcd.nic,in